# कार्यालय— उपजिलाधिकारी उरई जनपद जालौन

पत्रांक— 342 /मत्स्य आखेट/नीलामी/2023—24 दिनांक :—04.09.2023

विषय :— मत्स्य आखेट नीलामी नदी आवंटन की विज्ञप्ति के सम्बन्ध मं।

निदेशक
सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग
लखनऊ उ0प्र0।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सादर अवगत कराना है कि तहसील उरई जिला जालौन में मत्स्य आखेट हेतु नदी की नीलामी का आवंटन दिनांक— 27/09/2023 को तहसील उरई मे किया जायेगा।

अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त प्रेस विज्ञप्ति दो दैनिक समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशित कराने की कृपा करें।

संलग्नक— विज्ञप्ति की 06 प्रति एवं सी0डी0 सहित।

ह0

उपजिलाधिकारी
उरई

# <u>कार्यालय– उपजिलाधिकारी उरई जनपद जालौन</u>

## <u>विज्ञप्ति</u>

पत्रांक– 342/मत्स्य आखेट/नीलामी/2023–24 दिनांक :– 04/09/2023

# <u>मत्स्य आखेट नीलामी हेतु विज्ञप्ति</u>

सर्वसाणारण को सूचित किया जाता है कि रिट याचिका संख्या– 31309/2018/मत्स्य जीवी सहकारी समिति लिमिटेड बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य के अनुपालन में जारी शासनादेश संख्या– 01/2019/33/एक–2–2019–19 (रिट)/2018 दिनांक– 10 जनवरी 2019 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार जनपद जालौन की तहसील उरई की सीमा में प्रवाहित वेतवा नदी एव ंनून मलंगा नदी की जलधारा में वर्ष– 2023–24 में नीलामी दिनांक से 31–08–2024 तक (प्रतिबन्धित अवधि को छोड़कर) मत्स्य आखेट पट्टा/नीलामी पर उठाये जाने की कार्यवाही के संम्बन्ध में नीलामी तिथि–27–09–2023 को पूर्वान्ह 11 बजे उपजिलाधिकारी उरई के तहसील सभागार में सम्पन्न की जायेगी। यदि किसी कारण वस नीलामी दिनांक 27–09–2023 को नही हो पाती है तो नीलामी 30–09–2023 को पूर्ण की भांति ही की जायेगी। जिसके सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी जिला जालौन स्थान उरई के बेवसाईट **Jalaun-nic-in** पर देखी जा सकती है। उपजिलाधिकारी उरई जनपद जालौन द्वारा पूर्ण रूप से संन्तुष्ट होने के उपरान्त नीलामी की स्वीकृति/अस्वीकृति का पूर्ण अधिकार जिलाधिकारी महोदया जालौन स्थान उरई में निहित रहेगा।

(1) <u>तहसील उरई जनपद जालौन</u> –

तहसील उरई की सीमा में प्रवाहित बेतवा नदी एवं नून.मलंगा नदी की जलधारा में निम्नलिखित खंण्ड–

वेतवा नदी खण्ड संख्या–01 ग्राम दद्री, कुरौना, खरका, टीकर, गुढ़ा, बन्धौली, सिमिरिया तक दूरी 12 किलोमीटर न्यूनतम आरक्षित मूल्य रू0 4.88400/– (चार लाख अठ्ठासी हजार चार सौ रूपये) नीलामी के पूर्व बोलीदाता को नीलामी मे प्रतिभाग करने हेतु जमानत धनराशि रू0 0.50 लाख( पचास हजार रूपया मात्र) का बैक ड्राफ्ट समिति के बैक खाते से जो कि मत्स्य विकास निधि जालौन स्थान उरई के नाम देय होगा/ जमा करना होगा।

खण्ड संख्या–02 ग्राम सिकरी व्यास से सैदनगर तक दूरी 07 किलोमीटर न्यूनतम आरक्षित मूल्य रू0 1.14400/– (एक लाख चौदह हजार चार सौ रूपये) नीलामी के पूर्व बोलीदाता को नीलामी

मे प्रतिभाग करने हेतु जमानत धनराशि रू0 0.15 लाख (पंद्ररह हजार रूपया मात्र) का बैक ड्राफ्ट समिति के बैक खाते से जो कि मत्स्य विकास निधि जालौन स्थान उरई के नाम दय होगा/ जमा करना होगा।

खण्ड संख्या–03 ग्राम मुहाना से पट्टी ऐर तक कहटा, कमठा, मकरेछा तक दूरी 08 किलोमीटर न्यूनतम आरक्षित मूल्य रू0 1.37940/– (एक लाख सेंतीस हजार नौ सौ चालीस रूपये) नीलामी के पूर्व बोलीदाता को नीलामी मे प्रतिभाग करने हेतु जमानत धनराशि रू0 0.15 लाख (पंद्ररह हजार रूपया मात्र) का बैक ड्राफ्ट जो कि मत्स्य विकास निधि जालौन स्थान उरई के नाम देय होगा/ जमा करना होगा।

खण्ड संख्या–04 नून मलंगा हरदोही गूजर से रगौली तक दूरी 16 किलोमीटर न्यूनतम आरक्षित मूल्य रू0 0.80520/(अस्सी हजार पानसौ वीस रूपये) नीलामी के पूर्व बोलीदाता को नीलामी मे प्रतिभाग करने हेतु जमानत धनराशि रू0 0.10 लाख (दस हजार रूपया मात्र) का बैक ड्राफ्ट समिति के बैक खाते से जो कि मत्स्य विकास निधि जालौन स्थान उरई के नाम देय होगा/ जमा करना होगा।

तहसील उरई जनपद जालौन मत्स्य आखेट नीलामी तहसील सभागार कक्ष दिनांक–27–09–2023 में करी जायेगी।

<u>मत्स्य आखेट पट्टा/नीलामी हेतु पात्रता की शर्तं</u> –

1–सक्रिय मत्स्य जीवी सहकारी समितियों की पात्रता की वरीयता शासनादेश संख्या–1/2019/33/एक–2–2019–19 (रिट)/2018 दिनांक– 10 जनवरी 2019 के अनुसार होगी।

2–भाग लेने वाली समितियों को सम्बन्धित खण्ड की न्यूनतम धनराशि का 10 प्रतिशत जमानत के रूप में पट्टा/नीलामी से पूर्व जमा करना होगा।

3–पट्टा/नीलामी से पूर्व सम्बन्धित तहसील से अदेयता प्रमाण–पत्र एवं मत्स्य विभाग से सक्रियता प्रमाण–पत्र देना होगा।

4–वरीयता प्रप्त समिति/सर्वोच्च बोलीदाता को नीलामी धनराशि का 25 प्रतिशत भाग तत्काल जमा करना होगा एवं अवशेष 75 प्रतिशत धनराशि एक सप्ताह के अन्दर जमा करनी होगी। वरीयता प्रप्त समिति/सर्वोच्च बोलीदाता द्वारा जमा धनराशि का 25 प्रतिशत धनराशि में समायोजित कर ली जायेगी। यदि समिति द्वारा ऐसा नही किया जा सका तो नीलामी स्वतःसमाप्त मानी जायेगी और धनराशि राज्य सरकार के पक्ष मे जव्त कर ली जायेगी।

5–यदि सर्वोच्च बोलीदाता की नीलामी धनराशि का 25 प्रतिशत तत्काल जमा नहीं करता तो उसके द्वारा जमा जमानत धनराशि राज्य सरकार के पक्ष में जमा कर ली जायेगी एवं द्वितीय सर्वोच्च बोलीदाता के नाम  मत्स्य आखेट ठका देने हेतु विचार किया जा सकता है। खण्ड हेतु निर्धारित धनराशि सम्मपूर्ण जमा करने पर मत्स्य आखेट ठका की अनुमति प्रदान कि जायेगी तदोपरान्त स्टाम जमा करने पर अनुबन्ध पत्र जारी किया जायेगा।

6–मत्स्य आखेट हेतु तहसील कालपी में पट्‌टा/नीलामी दिनांक– 27–09–203 से 31–08–2024 तक (प्रतिबन्धित अवधि को छोड़कर) मान्य होगा नीलामी स्वीकृति /अस्वीकृति का अधिकार जिलाधिकारी महोदया जनपद जालौन में निहिंत होगा।

इस नीलामी हेतु सक्रिय मत्स्य जीवी सहकारी समितियां नियत तिथि एवं समय पर उपस्थित हाकर प्रतिभाग कर सकती है। विस्तृत जानकारी एवं शर्तो हेतु  सहायक निदेशक मत्स्य जालौन स्थान उरई के कार्यालय रामकुण्ड परिसर उरई आकर किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त कर सकते है।

| | |
|---|---|
| ह0 | ह0 |
| सहायक निदेशक मत्स्य<br>जालौन स्थान उरई | उपजिलाधिकारी<br>तहसील– उरई<br>जनपद–जालौन |